

MECHENIC DIESEL

ELECTRONICS

FITTER

WELDER

TURNER

MACHNIST

ELECTRICIAN

कार्यालय / Office

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway

दू भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फैक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

No: E/ PB/ R/ Rectt/ Act Appr./ 01/2023-24

Date: 23.05.2023



NOTIFICATION

Sub:- Engagement for Act Apprenticeship under Apprentices Act- 1961 and Apprenticeship

Rules-1962 in SECR Raipur Division & Wagon Repair Shop, Raipur for the year 2023- 24.

Online applications through the website: https://apprenticeshipindia.org from 23.05.2023 to 22.06.2023(till night 12.00 hrs) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade

t the following designated trades:	-			s wago	on Rep	air Sho	p/ Raipu	ir of SE
TRADE	UR	EWS	OBC	sc	ST	Total	PwBD	Ex. Ser.
WELDER(Gas & Electric)	48	12	32	18	09	119	05	12
TURNER	30	08	21	11	06	76	03	08
FITTER	80	20	53	30	15	198	08	20
ELECRTICIAN	62	15	42	23	12	_	06	15
STENO GRAPHER (English)	03	01	03	02	01	10	00	01
STENO GRAPHER (Hindi)	03	01	03	02	01			01
COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT	03	01	03	02	01		-	01
HEALTH & SANATORY INSPECTOR	06	02	05	03	-			02
MACHINIST	12	03	08	05	02	30	01	03
	TRADE WELDER(Gas & Electric) TURNER FITTER ELECRTICIAN STENO GRAPHER (English) STENO GRAPHER (Hindi) COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT HEALTH & SANATORY INSPECTOR	ntices under Apprentices Act—1961 in Rate the following designated trades:- DRM OFFICE, RAIPUR DIVISION E05202 TRADE WELDER(Gas & Electric) TURNER FITTER ELECRTICIAN STENO GRAPHER (English) STENO GRAPHER (Hindi) COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT HEALTH & SANATORY INSPECTOR 10 Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain	DRM OFFICE, RAIPUR DIVISION E05202200048 TRADE	DRM OFFICE, RAIPUR DIVISION E05202200048 TRADE UR EWS OBC SC ST Total PwBD WELDER(Gas & Electric) 48 12 32 18 09 119 05 TURNER 30 08 21 11 06 76 03 FITTER 80 20 53 30 15 198 08 ELECRTICIAN 62 15 42 23 12 154 06 STENO GRAPHER (English) 03 01 03 02 01 10 00 STENO GRAPHER (Hindi) 03 01 03 02 01 10 00 COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT 03 01 03 02 01 10 00 HEALTH & SANATORY INSPECTOR 06 02 05 03 01 17 01				

OBC

TOTAL

SC

ST

Total

PWB

D

Ex. Ser.

Man

TOTAL

2.	WAGON	REPAIR SHO	P. RAIPLIR	F11152200001

JUUUU. TRADE

MECH. REFRIG. & AIR CONDITINER

MECHANIC AUTO ELECTRICAL &

COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT

STENO GRAPHER (Hindi)

with minimum 50% (aggregate) marks.

4. Criteria for preparing merit list in the selection:

(Railway Establishment Rule 201/2017).

01

02

03

04

05

UR

SC

ST

OBC

PwBD/Ex-Servicemen

Medical Examination:

Central/State Hospital.

apprenticeship with the employer. Offer of acceptance of engagement:

for Apprenticeship as per details mentioned below: -

Contract:

Ex-Servicemen

6.

7.

Servicemen.

- b) Must have passed I.T.I course in relevant trade from a Recognized Institution.
- Age Limit: The candidates should have completed 15 years of age and should NOT have
- completed 24 years of age as on 01.07.2023. * The upper age limit is relaxable by 05 years

		3 years for OBC, 10 years for Ex-Servicemen and PWBD.
Srl No	Community	Candidate should be born between/both dates inclus

01-07-1999 To 01-07-2008

01-07-1994 To 01-07-2008

01-07-1994 To 01-07-2008

01-07-1996 To 01-07-2008

01-07-1989 To 01-07-2008

3. The period of Apprentice training & Stipend: Selected candidates will be engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training for a period 1 Year for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of Railway Board. Their

Taking the average of the % age marks obtained by the candidates in both Matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] and ITI examination giving equal weight age to both

Selected candidates may be adviced to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed Performa as per Apprenticeship act 1961 and Para 4 of the apprenticeship Rule 1992(As amended from time to time). The Medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (GAZ). Not below the rank Asstt. Surgeon of

The selected candidates or, if he is minor, his guardian has be enter into a contract of

It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to any apprentice after completion of training, nor shall it be obligatory for the apprentices to accept any employment, if offered by the employer. The candidates are advised to get themselves

9.1 Ex-Servicemen candidates selected under the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/ SC/ ST/ OBC to which they belong. Reservation to Ex-Servicemen, their children and children of Armed Force personnel will be

A. Children of deceased/ disabled Ex-Servicemen including those killed/disabled during peace time. B. Children of Ex-servicemen. C. Children of Serving Jawans. D. Children of Serving Officer E. Ex-

familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961.

- isive)

* Relaxation in age is subject to submission of recent caste certificate.

training will be terminated after the completion of their apprenticeship.

The following criteria are prescribed for preparation of merit in the selection: -

- a) Must have passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent
- Educational qualification/ Technical Qualification:

- 9. Last date for receipt of application: The online application completed in all respect, can be submitted through online from 23.05.2023 up to 22.06.2023 (24.00 Hrs). No physical copy of the application is required to be sent to Raipur division or Wagon Repair shop/ Raipur.
 - 10. General instruction to the candidates:
- a. Applications must he submitted online only address web https://apprenticeshipindia.org
- b. If a candidate belongs to SC/ST/OBC community, he should upload recent caste certificate issued by competent authority on the above web portal and also verified your Aadhar.
- c. CANVASSING IN ANY FORM SHALL DISQUALIFY THE CANDIDATES.
- d. No Travelling Allowance/ Daily allowance shall be paid to the candidates. e. The candidates will have to upload soft/scanned copy of present passport size color
 - photograph and scanned signature along with necessary documents pertaining to education/ technical qualification on the website.
- Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any discrepancy noticed.
- g. If it is noticed by the Railway Administration that the applicant has furnished wrong/fake certificates/false certificates, the Railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice even after his selection to undergo training.
- h. The Railway Administration does not undertake any responsibility for sending reply to the candidates either selected or otherwise. No correspondence in respect of the applications submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.
- The Railway Administration will not be responsible for any printing error.
- Persons with disability (PWBD) who want to avail the benefit for reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority with not less than 40% of disability i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State government.
- k. The decision of the Railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications and mode of selection shall be final.

11. Helpline Contact: -

01	Mobile No-	7024149242	In case of any query please contact this office during Office hours (Monday to Friday/in working day 10:00 AM to 17:30 PM).
02	Office Address	Sr. Divisional Per Gate, Raipur (C.G	sonnel Office, DRM Office Complex, Near Waltiar 6.) Pin No- 492008

(Ruheena Tufail Khan) Assistant Personnel Officer For Sr Divisional Personnel Officer

Date: 23.05.2023

No: E/ PB/ R/ Rectt/Act Appr./01/2023-24

Copy for information and necessary action to:

- PCPO/ SECR/ BSP for information. 1.
- PS to DRM for kind information of DRM/ Raipur please. 2.
- 3. Sr.DCM/ SECR/ R for publication.
- CMIT Office/Bilaspur for upload in the SECR Web site. 4.
- Notice Boards & IT Cell/Personnel/R. 5.

कार्यालय / Office

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway

दु.भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फेक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

पीबी / आर / भर्ती / एक्ट.अप्रेंटिस / 01 / 2023-24

दिनांक 23.05.2023

दिव्यांग



अधिस्चना

विषय:- वर्ष 2023-24 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसेस का नियोजन ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद, नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिसशिप हेतु नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से https://apprenticeshipindia.org वेबसाइट पर दिनांक 23.05.2023 से 22.06.2023 (रात 12 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ई. डब्लू. एस.

अ.पि.व.

अ.ज.

डी.आर.एम. आफिस, रायपुर मंडल E05202200048

		T			जा	जा			₹7.
1	वेल्डर	48	12	32	18	09	119	05	12
2	टर्नर	30	08	21	11	06	76	03	08
3	फिटर	80	20	53	30	15	198	08	20
4	इलेक्ट्रिशिन	62	15	42	23	12	154	06	15
5	स्टेनोग्प्रफर (अंग्रेजी)	03	01	03	02	01	10	00	01
6	स्टेनोग्प्रफर (हिन्दी)	03	01	03	02	01	10	00	01
7	कोपा	03	01	03	02	01	10	00	01
8	हेल्त एण्ड सेनेटरी इंस्पेकटर	06	02	05	03	01	17	01	02
9	मशीनिष्ट	12	03	08	05	02	30	01	03
10	मेकेनिक डीजल	12	03	08	05	02	30	01	03
11	मकेनिक रेफरीजिरेटर एवं एयर कंडीशनर	05	01	03	02	01	12	00	01
12	मकेनिक आटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स	12	03	08	05	02	30	01	03
	कुल	276	70	189	108	53	696	26	70

कं.	ट्रेड	अना.	ईडब्लू ए स	अ.पि.व.	अ <u>.</u> जा	अ.ज. जा	कुल	दिव्यांग	भू पू
1	फिटर	56	14	38	21	11	140	06	14
2	वेल्डर	56	14	38	21	11	140	06	14
3	मशीनिष्ट	08	02	05	03	02	20	00	02
4	टर्नर	06	02	04	02	01	15	00	02
5	इलेक्ट्रिशिन	06	02	04	02	01	15	00	02
6	कोपा	02	01	01	01	00	05	00	01
7	स्टेनोग्प्रफर (हिन्दी)	01	00	01	00	00	02	00	00
	कल	135	35	01	EO	20	227	40	OF.

1. शैक्षिणिक / तकनीकी योग्यता :--

अ) अन्यार्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहतों हेत् आवश्यक होगा)।

File No.SECR-R0PERS(RnO)/156/2020-O/o SR.DPO/R/SECR ब)अभ्यार्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. आयुसीमा :- अभ्यार्थी की आयु दिनांक 01.07.2023 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए । अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छट होगी । समुदायवार जन्मतिथि निम्नानुसार होनी चाहिए:-

अभ्यार्थी की जन्म तिथि निम्न दोनों तिथियों के मध्य की होनी है । कमांक समदाय 01.07.1999 ゼ 01.07.2008 अनारक्षित 01 अनुसचितजाति 01.07.1994 社 01.07.2008

01.07.1994 से 01.07.2008 अनुसचितजनजाति 03 अन्य पिछडावर्ग 01.07.1996 社 01.07.2008 04 दिव्यांग / भृतपूर्वसैनिक 01.07.1989 社 01.07.2008

4. चयनप्रकिया :- प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जायेगा, अभ्यार्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक

होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए ।

वच्चे, घ) भूतपूर्वसैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे ।

10. अन्यार्थी के लिए सामान्य निर्देश:-

तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी ।

करने का अधिकार रखता है ।

2023 से 22.06.2023 रात 12 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।

पर अपलोड करें तथा आधार वैरिफिकेशन भी अनिवार्य है।

जारी शिक्षता के अनुबंध में पालक /अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

(स्थापना नियम कमांक 201/2017)

कर ले।

अहर्तो हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंक प्रतिशत को समानभारता देते हुय प्रवीणता सूची जारी की जायेगी ।

की अवधि के लिए प्रशिक्षता / अप्रेंटिस शिप टेनिंग के लिए भेजा जायेगा। नियोजित प्रशिक्षओं को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा / छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा । अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा ।

5. चिकित्सापरीक्षण :- चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाणपत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय/राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजंपत्रित) से हस्ताक्षर

6. संविदा :- चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिक है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा

7. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :- प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रशिक्ष् को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाघ्य नहीं होगा और ना ही प्रशिक्ष नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाघ्य होगा। अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमो एवं अधिनियमों कि भली भाँति जानकारी प्राप्त

8. भुतपूर्व सैनिक:- 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हे प्रदान किया गया है, अनारक्षित /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के, भूतपूर्व सैनिक को उनकी

क) मृत सैनिक के बच्चे / युद्ध के समय शहीद / दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्वसैनिक के बच्चे, ग) सेवारत अधिकारी के

23.05.

संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हे अप्रैंटिसशिप के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

आवेदनप्राप्ति की अंतिमतिथि :- पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रकिया से दिनांक

ग) किसी भी प्रकार के पैरवी / दबाव डालने पर अभ्यार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

क) यदि अभ्यार्थी केवल https://apprenticeshipindia.org वेबसाइट के माध्यम से ही ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करें । ख) यदि अभ्यार्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र का वेबपोर्टल

घ) आवेदक को प्रशिक्ष के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जायेगा ।

है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

ड) यदि अभ्यार्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है

च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यार्थी/चयनित अभ्यार्थी ने गलत/जाली/झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त

छ) रेल प्रशासन अभ्यार्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता

3. अप्रेंटिसप्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति :— चयनित अभ्यार्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किये जायेंगे तथा उन्हे केवल 1 वर्ष

'उम्र में छूट हाल के जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा ।

File No.SECR-R0PERS(RnO)/156/2020-O/o SR.DPO/R/SECR इ) अभ्यार्थी के आवेदन की स्वीकृति ,अस्वीकृति पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेत् रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम

माना जाएगा।

प्रतिलिपि-

11.सहायता हेत:-

01	मोबाइल नंबर	7024149242 अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10:00 से संध्या 17:30 तक के मध्य संपर्क किया जा सकता है।
02	कार्यालय का पता	वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, वॉल्टेयर गेट के निकट, रायपुर (छ.ग.) पिन संख्या:—492008
नोट-	किसी संशय/विरोधाभाष	व कि स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा।

ई / पीबी / आर / भर्ती / एक्ट.अप्रेंटिस / 01 / 2023-24

Tufail Khan Date: 29:05-2023 75:52:29 Reवार कार्मिक अधिकारी कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी दिनांक 23.05.2023

Digitally Signed by Ruheena

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ। मंडल रेल प्रबंधक के निज सचिव को मं.रे.प्र. के सादर सूचनार्थ ।

सी.एम.आई.टी. कार्यालय / बिलासपुर को अधिसूचना को एस.ई.सी.आर. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु

वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक / द.पू.म.रे. / रायपुर को अधिसूचना के प्रकाशन / प्रचार हेत् 4. स्चनापटल एवं आई.टी. सेल/कार्मिक/रायपुर।

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी